कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन) बलरामपुर
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

//निविदा सूचना//

क्रमांक....1372.....   दिनांक 02/08/2019

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्र. 20/चार/ मतपत्र/मुद्रण/विसनि /2018–19/6329 रायपुर, दिनांक 05.07.2019 के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के अन्तर्गत उपयोग किए गए सामाग्रियों सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफा एवं अन्य अनुपयोगी दस्तावेजो के विक्री हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म (जिसका कि मूल्य रूपये 100/– है।) अधो हस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय से किसी भी दिन कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त कि जा सकती है। निर्धारित फार्म में भरी निविदाएं मेरे कार्यालय में दिनांक **22/08/2019** को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

<u>शर्ते</u> :–

1. अमानत राशि – निविदा के लिए रूपये 5,000/– (रू. पांच हजार) की अमानत राशि निर्धारित है। राशि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की जा सकती है। अथवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नगद जमा की जा सकती है, जिसके लिए सी.जी.टी.सी.–06 फार्म में रसीद दी जायेगी। निविदा के साथ अमानत राशि जमा कर दिए जाने के प्रमाण में बैंक ड्राफ्ट या रसीद का संलग्न होना अनिवार्य है। उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. निविदा संलग्न निविदा प्रपत्र में ही भरकर प्रस्तुत की जाए निर्धारित प्रपत्र से भिन्न किसी अन्य प्रकार के फार्म में प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र में यह सब जानकारी पूर्णरूपेण और सही सही भरी जानी चाहिए जो वांछित है, उसके अभाव में या अपूर्ण होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

3. विधानसभा निर्वाचन 2018 के अन्तर्गत उपयोग किए गए सामाग्रियों यथा सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफा एवं अन्य अनुपयोगी दस्तावेजो का चयनित निविदाकार के द्वारा कतरन करने के पश्चात् ही उक्त सामग्रियों का उठाव किया जावेगा। बिना कतरन किए दस्तावेज/कागजों का उठाव नहीं किया जावेगा। बिना कतरन किए उठाव किए जाने की स्थिति में अमानत राशि को राजसात किया जावेगा।

क्रमश ....

Scanned by CamScanner

4. चयनित निविदाकार के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह निविदा मान्य होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर उपरोक्त सामग्रियों का उठाव अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

5. विधानसभा निर्वाचन 2018 के अन्तर्गत उपयोग किए गए सामाग्रियों यथा सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफा एवं अन्य अनुपयोगी दस्तावेजो का चयनित निविदाकार के द्वारा कतरन एवं उठाव का कार्य स्वयं के व्यय से किया जाना होगा इसके लिए निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का देय नहीं होगा।

6. उक्त निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा तथा यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताए, स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए सक्षम होगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

Scanned by CamScanner